

**वर्गपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण विवरण**

| क्रमांक | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम                      | पदनाम                    | कोषागार का नाम       | डिस्पैच | दिनांक   |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------|
| 1       | श्री अश्वनी कुमार सकसेना                            | अवर अभियन्ता             | प्रयागराज            | 1224    | 31.01.19 |
| 2       | श्री आदित्य प्रताप तिवारी                           | अवर अभियन्ता             | कानपुर               | 1743    | 14.02.19 |
| 3       | श्री अरुण कुमार अग्रवाल                             | अवर अभियन्ता             | मथुरा                | 1733    | 14.02.19 |
| 4       | श्री सुभाष चन्द्र शर्मा                             | अवर अभियन्ता             | मुरादाबाद            | 1768    | 15.02.19 |
| 5       | श्री प्रेम सिंह जादों                               | अवर अभियन्ता             | मथुरा                | 1746    | 14.02.19 |
| 6       | श्री झूरी यादव                                      | अवर अभियन्ता             | अम्बेडकर नगर         | 1753    | 14.02.19 |
| 7       | श्री अनंग पाल सिंह                                  | अवर अभियन्ता             | फतेहगढ़<br>फर्रुखबाद | 1770    | 15.02.19 |
| 8       | श्री श्याम लाल                                      | कारपेन्टर                | लखनऊ                 | 1755    | 15.02.19 |
| 9       | श्री आशा राम पाठक                                   | अवर अभियन्ता             | वाराणसी              | 1628    | 12.02.19 |
| 10      | श्री राम सिंह                                       | रसायनज्ञ ग्रेड-प्रथम     | अलीगढ़               | 1629    | 12.02.19 |
| 11      | श्रीमती इशरत जहाँ पत्नी स्व० सैयद अहमद अली          | अवर अभियन्ता             | अलीगढ़               | 1769    | 15.02.19 |
| 12      | श्रीमती विद्या शर्मा पत्नी स्व० श्रीपाल शर्मा       | अवर अभियन्ता             | उन्नाव               | 1783    | 15.02.19 |
| 13      | श्री अजय कुमार मोइत्रा                              | अवर अभियन्ता             | सोनभद्र              | 1748    | 14.02.19 |
| 14      | श्री इस्लाम हुसैन जैदी                              | अवर अभियन्ता             | फतेहगढ़<br>फर्रुखबाद | 1745    | 14.02.19 |
| 15      | श्री जुल्फिकार अहमद                                 | अवर अभियन्ता             | फतेहगढ़<br>फर्रुखबाद | 1744    | 14.02.19 |
| 16      | श्री युधिष्ठिर दत्त स्वामी                          | अवर अभियन्ता             | बुलन्दशहर            | 1750    | 14.02.19 |
| 17      | श्री राम मोहन सकसेना                                | अवर अभियन्ता             | फतेहगढ़<br>फर्रुखबाद | 1781    | 15.02.19 |
| 18      | श्री राम चन्द्र यादव                                | अवर अभियन्ता             | फतेहगढ़<br>फर्रुखबाद | 1778    | 15.02.19 |
| 19      | श्री चन्द्र पाल गौड़                                | अवर अभियन्ता             | बुलन्दशहर            | 1749    | 14.02.19 |
| 20      | श्री भोला नाथ गुप्ता                                | अवर अभियन्ता             | प्रयागराज            | 1777    | 15.02.19 |
| 21      | श्रीमती पूनम सिंघल पत्नी स्व० प्रेम चन्द्र सिंघल    | अवर अभियन्ता             | बुलन्दशहर            | 1779    | 15.02.19 |
| 22      | श्री राम अवतार यादव                                 | अवर अभियन्ता             | आगरा                 | 1451    | 06.02.19 |
| 23      | श्री महेश चन्द्र गौड़                               | अवर अभियन्ता             | अलीगढ़               | 847     | 21.01.19 |
| 24      | श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व० वशिष्ठ पाण्डेय         | आशुलिपिक                 | सोनभद्र              | 1355    | 04.02.19 |
| 25      | कु० रीता सिंह पुत्री स्व० रणजीत                     | अवर अभियन्ता             | फतेहपुर              | 1471    | 07.02.19 |
| 26      | श्री राम देव मिश्रा                                 | कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय | सुल्तानपुर           | 1472    | 07.02.19 |
| 27      | श्री तुलसी राम                                      | अवर अभियन्ता             | उरई(जालौन)           | 1473    | 07.02.19 |
| 28      | श्री सरमन सिंह                                      | अवर अभियन्ता             | उरई(जालौन)           | 1470    | 07.02.19 |
| 29      | श्री राम कृष्ण                                      | अवर अभियन्ता             | मुजफ्फरनगर           | 1437    | 06.02.19 |
| 30      | श्री राम मिलन                                       | अवर अभियन्ता             | बलरामपुर             | 1443    | 06.02.19 |
| 31      | श्रीमती कृष्णा कुमार पत्नी स्व० बृजभूषण शर्मा       | अवर अभियन्ता             | मुजफ्फरनगर           | 1444    | 06.02.19 |
| 32      | श्री शम्भुनाथ पाण्डेय                               | अवर अभियन्ता             | अम्बेडकर नगर         | 1466    | 06.02.19 |
| 33      | श्रीमती गीता पाण्डेय पत्नी स्व० अवधेश कुमार पाण्डेय | अवर अभियन्ता             | देवरिया              | 890     | 22.01.19 |
| 34      | श्री वीरेन्द्र सिंह सिरौही                          | अवर अभियन्ता             | मुजफ्फरनगर           | 865     | 22.01.19 |
| 35      | श्री ताहिरुल इस्लाम                                 | अवर अभियन्ता             | लखीमपुर-खीरी         | 852     | 21.01.19 |

| क्रमांक | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम                        | पदनाम                    | कोषागार का नाम | डिस्पैच | दिनांक   |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|----------|
| 36      | श्री आनन्द प्रकाश सक्सेना                             | अवर अभियन्ता             | बरेली          | 859     | 21.01.19 |
| 37      | श्री पोषन प्रसाद                                      | अवर अभियन्ता             | महराजगंज       | 896     | 23.01.19 |
| 38      | श्री सन्तोष कुमार                                     | अवर अभियन्ता             | बरेली          | 873     | 22.01.19 |
| 39      | श्री रामशरण पाण्डेय                                   | अवर अभियन्ता             | रायबरेली       | 934     | 23.01.19 |
| 40      | श्री जियाउद्दीन अहमद अंसारी                           | अवर अभियन्ता             | जौनपुर         | 846     | 21.01.19 |
| 41      | श्री विमल कुमार                                       | अवर अभियन्ता             | रायबरेली       | 1465    | 07.02.19 |
| 42      | श्री मैक्सबल सोलोमन                                   | अवर अभियन्ता             | मुरादाबाद      | 1197    | 30.01.19 |
| 43      | श्री जीशान हैदर                                       | अवर अभियन्ता             | अमरोहा         | 1466ए   | 07.02.19 |
| 44      | श्रीमती कमला मौर्या पत्नी स्व० जमुना प्रसाद मौर्या    | अवर अभियन्ता             | बहराइच         | 1535    | 08.02.19 |
| 45      | श्रीमती उर्मिला निरंजन पत्नी स्व० गोविन्द सिंह निरंजन | अवर अभियन्ता             | उरई(जालौन)     | 795     | 21.01.19 |
| 46      | श्री कमला कान्त ओझा                                   | अवर अभियन्ता             | गोरखपुर        | 1546    | 08.02.19 |
| 47      | श्री राशिद जावेद हाशमी                                | अवर अभियन्ता             | प्रयागराज      | 1488    | 07.02.19 |
| 48      | श्री चिन्तामणि शुक्ल                                  | कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय | प्रयागराज      | 1487    | 07.02.19 |
| 49      | श्री सेठू सिंह                                        | अवर अभियन्ता             | सहारनपुर       | 1486    | 07.02.19 |
| 50      | श्री जवाहर सिंह                                       | अवर अभियन्ता             | बुलन्दशहर      | 1452    | 07.02.19 |



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1224/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6660/16-17

दिनांक: 31.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अश्वनी कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अश्वनी कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5741 दिनांक 05.11.2016 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 19.08.1951             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सरोज सक्सेना   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 30.06.1957             |
  2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.08.2011  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900  
 (घ) वेतन : 52060 + 8900 = 60960/-  
 (ङ) मूल पेंशन : 30480/-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 12192/-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 18288/-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 30480/-  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 18288/-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
  3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 13  
 (ख) निर्धारित वेतन : 161300/-
  4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 80650/-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 80650/-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 12192/-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 68458/-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 48390/-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
  5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1224/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6660/16-17 दिनांक: 31.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री अश्वनी कुमार सक्सेना, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-23/47/86, किदवाई नगर, अल्लापुर, प्रयागराज।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम पहाड़ुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1743/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/575/01-02

दिनांक: 14.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री आदित्य प्रताप तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री आदित्य प्रताप तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 601 दिनांक 27.10.2001    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 29.07.1943               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती माया देवी तिवारी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 02.08.1949               |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2001               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम भेतनमान             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000              |
| (घ) वेतन                         | : | 19100/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8539/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2249/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6290/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5730/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 60 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | 61364/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2249/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 63301/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1743/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/575/01-02 दिनांक: 14.02.19  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पनकी।
- श्री आदित्य प्रताप तिवारी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-111, सिविल लाइन्स, उन्नाव।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1733/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/940/02-03

दिनांक: 14.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1026 दिनांक 02.01.2003    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 09.10.1943                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती इन्दुरानी अग्रवाल |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 02.03.1950                |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.10.2001                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000               |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8819/-                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2276/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6543/-                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 59 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 62174/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2276/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 63274/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1733/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/940/02-03 दिनांक: 14.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा को सेवापुरिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री अरुण कुमार अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-169, महावीर नगर, भूतेश्वर, मथुरा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1768 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2756 / 06-07

दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2966 दिनांक 16.09.2006 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 04.01.1948             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सरला शर्मा     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
- |                                    |   |                           |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2006                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान            | : | छठवा वेतनमान              |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन                           | : | 46310 + 8900 = 55210 /-   |
| (ङ) मूल पेंशन                      | : | 27605 /-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग           | : | 4107 /-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | : | 23498 /-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर     | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | : | 16563 /-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा      | : | 40 छमाही                  |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13        |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 143300 /- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)                                                   | : | 71650 /-  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550 /-  |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 71650 /-  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 4107 /-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 67543 /-  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 42990 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1768 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2756 / 06-07 दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ड-23, हनुमान नगर लाईनपार, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1746/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2602/06-07

दिनांक: 14.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री प्रेम सिंह जादों, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री प्रेम सिंह जादों, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2806 दिनांक 14.06.2005   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 04.12.1946               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुमन लता जादों   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.07.1957               |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.12.2004               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम मैननमान             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000              |
| (घ) वेतन                         | : | 19100 + 9550 = 28650 /-- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 14075 /--                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3809 /--                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10266 /--                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8595 /--                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 65 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13         |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000 /-- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 67500 /-- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | 66478 /-- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550 /-- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 66478 /-- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 3809 /--  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 62669 /-- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 40500 /-- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1746/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2602/06-07 दिनांक: 14.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।
4. श्री प्रेम सिंह जादों, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-52 बी, कृष्णा नगर, मथुरा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

14/2/19

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1753/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5194/13-14

दिनांक: 14.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अम्बेडकर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री झूरी यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री झूरी यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4924 दिनांक 02.07.2013    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 12.11.1949                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती गुलाबी देवी       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.11.2009                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवाँ भेतनमान             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8700 |
| (घ) वेतन                         | : | 41410 + 8700 = 50110/-    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 25055/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 10022/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 15033/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 15033/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 12       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 130600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 65300/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 61550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65300/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 10022/-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 55278/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 39180/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1753/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5194/13-14 दिनांक: 14.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।
3. श्री झूरी यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-रघुनाथपुर, पो०-महाराजगंज, जिला-आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

अभिजात कुमार (हाइड्रिल)





# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1770/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2786/06-07

दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अनंग पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अनंग पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3091 दिनांक 14.12.2006 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 08.01.1946             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती प्रभा देवी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 21.10.1956             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.01.2004             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9394/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2672/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6722/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 62 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 65335/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2672/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 62878/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1770/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2786/06-07  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 15.02.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
3. श्री अनंग पाल सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मो०-राजीवगाँधी नगर, फर्रुखाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

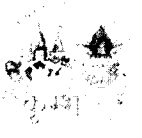
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1755/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/915/02-03

दिनांक: 15.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्याम लाल, सेवानिवृत्त कारपेन्टर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्याम लाल, सेवानिवृत्त कारपेन्टर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 976 दिनांक 28.09.2002 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 20.03.1944            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शान्ती देवी   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 25.06.1948            |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.03.2002  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : पंचम वेतनमान  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 8550-13500  
 (घ) वेतन : 10475 /--  
 (ङ) मूल पेंशन : 5238 /--  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 1880 /--  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3358 /--  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3143 /--  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० : दिनांक : द्वारा प्रकल्पित  
 रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पैमेटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 65200 /--
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुरार(50%) : 32600 /--  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550 /--  
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 32600 /--  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 1880 /--  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 30720 /--  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 19560 /--  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1755/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/915/02-03 दिनांक: 15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड तृतीय, लेसा, लखनऊ।

3. श्री श्याम लाल, से०नि० कारपेन्टर, निवासी-356/8, आलम नगर रोड, निकट कैम्पवेल रोड, विराहा राजाजीपुर, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लखनऊ, दिनांक 15.02.2019



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1628/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6429/15-16

दिनांक: 12.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री आशा राम पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री आशा राम पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5487 दिनांक 23.11.2015           |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 03.07.1954                       |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती ऊषा रानी पाठक            |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 04.08.1956                       |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2014                       |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवाँ वेतनमान                    |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400         |
| (घ) वेतन                         | : | 23880+6600=30480/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15240/-                          |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6096/-                           |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9144/-                           |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 15240/- दि० 03.07.2019 तक        |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9144/- दि० 04.07.2019 से अग्रेतर |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                         |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 40100/-                     |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं                   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-                     |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 40100/-                     |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 6096/-                      |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 34004/-                     |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 40100/- 03.07.19 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 24060/- 04.07.19 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं                   |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1628/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6429/15-16 दिनांक: 12.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-घतुर्थ, भैलपुर वाराणसी को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वाराणसी।
4. श्री आशा राम पाठक, से०नि० अवर अभियन्ता, एस०-15/1634 भवानी रोड, शिवपुर वाराणसी।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1629/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2107/04-05

दिनांक: 12.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम सिंह, सेवानिवृत्त कैमिस्ट ग्रेड-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम सिंह, सेवानिवृत्त कैमिस्ट ग्रेड-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2195 दिनांक 13.05.2005 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 21.07.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती विद्या देवी    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9798/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3040/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6758/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 3040/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 66510/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1629/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/763/98-99 दिनांक: 12.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, तकनीकी सेवायें एवं मानव संसाधन विकास खण्ड हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर अलीगढ़।
4. श्री राम सिंह, से०नि० ~~अभियन्ता~~, गांव-मृतपुरा, डा० तालिबनगर, जिला-अलीगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

Chemist Goddell

*[Signature]*

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



संख्या: 1769/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/325/95-96 दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती इशरत जहाँ पत्नी स्व० सैयद अहमद अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती इशरत जहाँ पत्नी स्व० सैयद अहमद अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 422 दिनांक 28.02.1996 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 11.10.1948            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती इशरत जहाँ     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 02.01.1967            |
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 24.09.1993            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | चतुर्थ वेतनमान        |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 3400-4750             |
| (घ) वेतन                         | : | 3500/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 600/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | लागू नहीं             |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71800/- |

## 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 21540/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

## 5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1769/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/325/95-96

दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारिषण खण्ड-प्रथम, 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र परिसर सारसील, जी०टी० रोड अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्रीमती इशरत जहाँ पत्नी स्व० सैयद अहमद अली, सं०नि० अवर अभियन्ता, 4/41, फरहयामीन लॉज, पुरानी पुलिस चौकी, जमालपुर अलीगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लखनऊ, 15.02.19



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1783 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2659 / 06-07

दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती विद्या शर्मा पत्नी स्व० श्रीपाल शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती विद्या शर्मा पत्नी स्व० श्रीपाल शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन         |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2865 दिनांक 10.07.2006  |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 07.10.1947              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती विद्या शर्मा    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं              |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 31.10.2005 / 25.01.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 6550-11000              |
| (घ) वेतन                         | : | 11000 + 5500 = 16500 /- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8149 /-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3277 /-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4917 /-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4950 /-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 08       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 66000 /- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 19800 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1783 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2659 / 06-07  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 15.02.19

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव।
- श्रीमती विद्या शर्मा पत्नी स्व० श्रीपाल शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-741, ए०बी० नगर, उन्नाव।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1748/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2709/06-07

दिनांक: 14.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सोनभद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अजय कुमार मोइत्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अजय कुमार मोइत्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता               |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 3056 दिनांक 14.11.2006  |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 14.11.1947              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती रत्ना मोइत्रा   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 05.11.1955              |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.11.2005              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम मेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000             |
| (घ) वेतन                         | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15000/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3975/-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 11025/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 3975/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 65575/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1748/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2709/06-07 दिनांक: 14.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कोयला संचालन खण्ड-द्वितीय, अनपरा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतार एवं लेखा खण्ड, अनपरा।
4. श्री अजय कुमार मोइत्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-3/6 ए. हरि ओम नगर, अलीगढ़।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम मोहन  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1745/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/972/02-03

दिनांक: 14.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री इस्लाम हुसैन जैदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री इस्लाम हुसैन जैदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1067 दिनांक 18.01.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 08.07.1943             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती नसीम जहाँ      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 11.08.1950             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2001             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम भेतनमान           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 17750/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8785/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2169/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6616/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5325/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेंमैटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2169/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 65331/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1745/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/972/02-03 दिनांक: 14.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
3. श्री इस्लाम हुसैन जैदी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-5/151, बुरावाली गली, फर्रुखाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1744 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4715 / 11-112

दिनांक: 14.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जुल्फिकार अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जुल्फिकार अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4438 दिनांक 08.04.2011  |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 11.10.1947              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती समीरा खानू      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 03.05.1956              |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.10.2005              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम मैननमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000             |
| (घ) वेतन                         | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13864/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 4007/-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9857/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 61 छमाही                |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 64282/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 4007/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 61543/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1744 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4715 / 11-12 दिनांक: 14.02.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फर्रुखाबाद।
3. श्री जुल्फिकार अहमद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-16, कैन्ट, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1750/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1014/02-03

दिनांक: 14.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री युधिष्ठिर दत्त स्वामी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री युधिष्ठिर दत्त स्वामी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1101 दिनांक 04.02.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.03.1944             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुशीला स्वामी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 07.09.1954             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/भृत्य तिथि    | : | 28.02.2002             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम मेतनमान           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8940/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2369/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6571/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 59 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 62174/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)      | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2369/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 63181/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु -4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1750/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1014/02-03 दिनांक: 14.02.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रसारण खण्ड, बुलन्दशहर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. श्री युधिष्ठिर दत्त स्वामी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-73, सुशीला बिहार भूड, बुलन्दशहर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--  
पंजीकृत--  
पंजीकृत--

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1781/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6222/14-15

दिनांक: 15.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम मोहन सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम मोहन सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5246 दिनांक 09.12.2014    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.12.1949                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती ऊषा सक्सेना       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 04.01.1959                |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.11.2009                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवा वेतनमान              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8700 |
| (घ) वेतन                         | : | 41410 + 8700 = 50110/-    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 25055/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 10022/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 15033/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 15033/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 12       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 130600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 65300/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 61550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65300/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 10022/-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 55278/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 39180/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

महोदय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1781/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6222/14-15  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 15.02.19

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
3. श्री राम मोहन सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-1/22, रंगराजन फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1778/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1199/03-04

दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1353 दिनांक 29.07.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 04.04.1944             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती लक्ष्मी देवी   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.04.1947             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.04.2002             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8969/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2551/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6418/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 60 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | 63228/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2551/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 62999/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1778/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1199/03-04  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 15.02.19

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
- श्री राम चन्द्र यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-शास्त्री नगर, दयालगंज, फर्रुखाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1749/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/570/01-02

दिनांक: 14.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चन्द्र पाल गौड़, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चन्द्र पाल गौड़, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 609 दिनांक 09.11.2001 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 05.11.1942            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती गंगा देवी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं            |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.11.2000            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम मेतनमान          |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000           |
| (घ) वेतन                         | : | 19550/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9730/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2897/-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6833/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5865/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-      |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं    |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-      |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 69550/-      |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | पुनर्स्थापित |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 69550/-      |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-      |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं    |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1749/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/570/01-02 दिनांक: 14.02.19  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, बुलन्दशहर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, खुर्जा, बुलन्दशहर।
4. श्री चन्द्र पाल गौड़, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-निकट-बिजली घर-04, जी०टी० रोड, खुर्जा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1777 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1341 / 03-04

दिनांक: 15.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भोला नाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भोला नाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक     | : | 1407 दिनांक 29.08.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                       | : | 06.01.1944             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम        | : | श्रीमती सरोज गुप्ता    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | : | अंकित नहीं             |
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2002             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान            | : | पंचम वेतनमान           |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                           | : | 20000 / -              |
| (ङ) मूल पेंशन                      | : | 10000 / -              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग           | : | 3040 / -               |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | : | 6960 / -               |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर     | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | : | 6000 / -               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा      | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13         |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100 / - |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550 / - |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550 / - |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 69550 / - |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3040 / -  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 66510 / - |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730 / - |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1777 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6571 / 16-17

दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत- 2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।

पंजीकृत- 3. श्री भोला नाथ गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एल०-105, इन्द्रानगर, कल्याणपुर, कानपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1779/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4284/08-09

दिनांक: 15.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती पूनम सिंहल पत्नी स्व० प्रेम चन्द्र सिंहल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती पूनम सिंहल पत्नी स्व० प्रेम चन्द्र सिंहल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                               |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3887 दिनांक 28.01.2009        |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1948                    |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती पूनम सिंहल            |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                    |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 30.06.2006/30.11.2015         |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवा वेतनमान                  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400      |
| (घ) वेतन                         | : | 20000 + 5400 ग्रे०पे० 25400/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 7620/-                        |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | लागू नहीं                     |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 67200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 20160/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1779/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4284/08-09

दिनांक: 15.02.19

प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।

3. श्रीमती पूनम सिंहल पत्नी स्व० प्रेम चन्द्र सिंहल, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-8 इन्द्रा नगर, भूड, परिहार, नर्सिंग होम वली गली, बुलन्दशहर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1451/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5075/12-13

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

आगरा।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम अवतार यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम अवतार यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4811 दिनांक 12.02.2013   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 20.08.1952               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती फूलवती           |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.08.2012               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 34390/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 17195/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6746/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10449/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 17195/-                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10317/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 90300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को

संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 45150/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 45150/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6746/-    |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 45150/-

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27090/-

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1451/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5075/12-13 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, मथुरा को सेधापुरिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा।
- श्री राम अवतार यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-राम नगर कालोनी, फतेहाबाद, आगरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

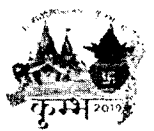




कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 847 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 789 / 99-2000

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महेश चन्द्र गौड़, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महेश चन्द्र गौड़, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिदर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 898 दिनांक 31.05.1999 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 29.12.1940            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती प्रतिमा गौड़  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.08.1944            |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.12.1998            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000           |
| (घ) वेतन                         | : | 18650/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9190/-                |
| (व) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2806/-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6384/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 9190/-                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5514/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2806/-    |
| (व) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 64694/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 67500/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 847 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 789 / 99-2000

दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, लाल डिग्री अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।
4. श्री महेश चन्द्र गौड़, से०नि० अवर अभियन्ता, 5/270 प्रतिमा निकेतन बन्ना देवी।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1355/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1246/03-04

दिनांक: 04.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सोनभद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व० वशिष्ठ पाण्डेय, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व० वशिष्ठ पाण्डेय, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1314 दिनांक 26.06.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | -                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती लीला देवी      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 12.06.2002             |
| 3. (ख) तत्समय लागू वेतनमान       | : | 10650-15200            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 10650-15200            |
| (घ) वेतन                         | : | 12925/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3878/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

4. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80900/- |

5. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 24270/-     |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं   |

6. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1355/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1246/03-04  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 04.02.19

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, जल विद्युत सयन्त्र खण्ड, ओबरा सोनभद्र।
- मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा तापीय विद्युत परियोजना, पो: ओबरा, जिला-सोनभद्र को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व० वशिष्ठ पाण्डेय, से०नि० आशुलिपिक, 7-ई०-189, ओबरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1471/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6494/15-16

दिनांक: 07.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

फतेहपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत कु० रीता सिंह पुत्री स्व० रणजीत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत कु० रीता सिंह पुत्री स्व० रणजीत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                              |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5567 दिनांक 07.05.2016       |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 08.07.1954                   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती कुमारी रीता सिंह     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 02.01.1992                   |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 30.03.2012                   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600     |
| (घ) वेतन                         | : | 29110/-                      |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 14555/- दिनांक 08.07.2019 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8733/-                       |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                     |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 75600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 37800/-                      |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं                    |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-                      |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 37800/-                      |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं                    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं                    |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 37800/- दिनांक 08.07.2019 तक |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 22680/-                      |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं                    |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1471/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6494/15-16

दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फतेहपुर।
4. कु० रीता सिंह पुत्री स्व० रणजीत, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-246, दुर्गानगर कालोनी, हरिहरगंज, फतेहपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1472 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2399 / 05-06

दिनांक: 07.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुल्तानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम देव मिश्रा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम देव मिश्रा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                | : | अधिवर्षता               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक     | : | 2615 दिनांक 20.01.2006  |
| (ग) जन्मतिथि                       | : | 01.08.1947              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम        | : | श्रीमती कान्ती मिश्रा   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | : | अंकित नहीं              |
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2005              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान            | : | 8550-13500              |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | 8550-13500              |
| (घ) वेतन                           | : | 11300 + 5650 = 16950 /- |
| (ङ) मूल पेंशन                      | : | 8434 /-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग           | : | 3138 /-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | : | 5296 /-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर     | : | 8434 /-                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | : | 5085 /-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा      | : | 66 छमाही                |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 69200 /- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)                                                   | : | 34600 /-  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 /-  |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 34600 /-  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3138 /-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 31462 /-  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 34600 /-  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 20760 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1472 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2399 / 05-06 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, मुल्तानपुर।
- श्री राम देव मिश्रा, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय, निवासी-ग०-पूरे, दुर्गाराम कोटा, मवानी, गंज, पो०-कोटा, जिला-प्रतापगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

सम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1473 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6866 / 17-18

दिनांक: 07.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
उरई (जालौन)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तुलसीराम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तुलसीराम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5925 दिनांक 28.10.2017    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.01.1956                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती श्याम सखी         |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.12.2015                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600  |
| (घ) वेतन                         | : | 37600/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 18800/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 7520/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 11280/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 18800/- दि० 31.12.2022 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 11280/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 98700/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 49350/-                           |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं                         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-                           |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 49350/-                           |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 7520/-                            |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 41830/-                           |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 49350/- दि० 31.12.2022 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 29610/- दि० 01.01.2023 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं                         |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1473 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6866 / 17-18 दिनांक: 07.02.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
3. श्री तुलसी राम, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न०-1489 इन्द्रानगर (कुईया रोड) उरई, जिला-जालौन।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1470/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6766/17-18

दिनांक: 07.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
उरई(जालौन)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सरमन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सरमन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 5841 दिनांक 12.06.2017   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.12.1954               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती राजकुमारी        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.05.1960               |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.11.2014               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 35840/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 17920/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 7168/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10752/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 17920/-                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10752/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 93000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 46500/-                           |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं                         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-                           |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 46500/-                           |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 7168/-                            |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 39332/-                           |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 46500/- दि० 30.11.2021 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 27900/- दि० 01.12.2021 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं                         |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1470/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6766/17-18 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
3. श्री सरमन सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न०-4788, तुलसी विहार कालोनी, पटेल नगर, जिला-उरई(जौलन), उ०प्र०।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1437/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4379/09-10

दिनांक: 06.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम कृष्ण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम कृष्ण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                  |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 4001 दिनांक 20.10.2009     |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1949                 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती यशोदा देवी         |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.10.1953                 |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.2009                 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 37400-67000 ग्रे0पे0 8900  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 37400-67000 ग्रे0पे0 8900  |
| (घ) वेतन                         | : | 60340/-                    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 30170/-                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 9730/-                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 20440/-                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | <del>60340/-</del> 30170/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 18102/-                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                   |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 156600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 78300/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 78300/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 9730/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 68570/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 78300/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 46980/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1437/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4379/09-10 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्री राम कृष्ण, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-812, दक्षिण भोपा रोड, संजय मार्ग, मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ,



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1443/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5133/13-14

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
 जिला कोषागार,  
 बलरामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम मिलन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम मिलन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4876 दिनांक 10.05.2013    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 20.07.1950                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती रमा देवी          |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.08.1950                |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.2010                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन                         | : | 63720/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 31860/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 12744/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 19116/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 31860/-                   |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 19116/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 6 छमाही                   |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 166100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 83050/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 83050/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 12744/-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 70306/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 83050/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 49830/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1443/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5133/13-14 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर।
- श्री राम मिलन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-स्व०-महेश्वर दत्ता सिंह कालोनी नई बाजार, बलरामपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन) (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ





# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1444/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2322/05-06

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी स्व० बृजभूषण शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी स्व० बृजभूषण शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन         |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2527 दिनांक 16.11.2005  |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.05.1947              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती कृष्णा कुमारी   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं              |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 31.05.2005 / 29.07.2017 |
| 3. (ख) तत्समय लागू वेतनमान       | : | 8550-13500              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500              |
| (घ) वेतन                         | : | 11850+5925 = 17775/—    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8702/—                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2121/—                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6581/—                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 8702/—                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5333/—                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                |

4. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71300/— |

5. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 35650/—   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | —         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/—   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 35650/—   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2121/—    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 33529/—   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 35650/—   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 21390/—   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

6. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1444/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2322/05-06

दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी स्व० बृजभूषण शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, 503 कृष्णा पुरी मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1466/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4264/08-09

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

अम्बेडकरनगर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शम्भुनाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शम्भुनाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3857 दिनांक 17.10.2008 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.02.1942             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती मंगला          |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 29.02.2000             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 8550-13500             |
| (घ) वेतन                         | : | 9375/-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4688/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1715/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2973/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 4688/-                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2813/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 59700/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 29850/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 29850/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 1715/-    |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 29850/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | : | 17910/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1466/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4264/08-09 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अकबरपुर।
3. श्री शम्भुनाथ पाण्डेय, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मंगला सदन, सम्मी नगर, अवलेश, पो०-कण्डवा, जिला-वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम कृष्णदत्त  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 890/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2011/04-05

दिनांक: 22.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
देवरिया।

पंजीकृत

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती गीता पाण्डेय पत्नी स्व० श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती गीता पाण्डेय पत्नी स्व० श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2228 दिनांक 06.06.2005 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | अंकित नहीं             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती गीता पाण्डेय   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.01.1957             |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 31.10.1996             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 10650-15200            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | 10650-15200            |
| (घ) वेतन                         | : | 11300/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3390/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 39 छमाही               |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71800/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 21540/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 890/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2011/04-05 दिनांक: 22.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, देवरिया।

3. श्रीमती गीता पाण्डेय पत्नी स्व० श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-13/153, राम गुलाम टोला, भीखमपुर रोड, देवरिया।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 865/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2460/05-06

दिनांक: 22.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह सिरौही, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह सिरौही, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 2687 दिनांक 21.03.2006 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 11.10.1946             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुनीता सिरौही  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.10.2004             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | (6500-11000)           |
| (घ) वेतन                         | : | 10200/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4766/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1700/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3066/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 4766/-                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3060/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 62 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 63300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 31650/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 29732/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 29732/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 1700/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 28032/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 29732/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 18990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 865/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2460/05-06

दिनांक: 22.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह सिरौही से०फि० अवर अभियन्ता, 191 सिविल लाइन साउथ मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 852/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1820/04-05

दिनांक: 21.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
लखीमपुर-खीरी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ताहिरुल इस्लाम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ताहिरुल इस्लाम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 1908 दिनांक 31.07.2004 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.01.1946             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शमा ताहिर      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | लागू नहीं              |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.12.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 19100/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9550/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2520/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7030/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | 9550/-                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5730/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | -         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2520/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 64980/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : | 67500/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 852/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1820/04-05

दिनांक: 21.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, लखीमपुर-खीरी।
- श्री ताहिरुल इस्लाम, सं०नि० अवर अभियन्ता, मो० ईदगाह, लखीमपुर-खीरी।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 859/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/32/99-2000

दिनांक: 21.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री आनन्द प्रकाश सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री आनन्द प्रकाश सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता            |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 65 दिनांक 29.03.2000 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.04.1941           |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती रनेह सक्सेना |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 14.10.1952           |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.04.1999           |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000          |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000          |
| (घ) वेतन                         | : | 18650/-              |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9123/-               |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2396/-               |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6727/-               |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 9123/-               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595/-               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही             |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 67500/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | -       |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 67500/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2396/-  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 65104/- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 67500/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 40500/- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | -       |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 859/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/32/99-2000 दिनांक: 21.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।

3. श्री आनन्द प्रकाश सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, सिटी माल गोदाम रोड अर्क न० 4 मो० कुँवरपुर बरेली।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

मुख्य कोषाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 896/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/747/02-03

दिनांक: 23.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
महाराजगंज।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पोषन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पोषन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | 775 दिनांक 24.04.2002 |
| (ग) जन्मतिथि                     | 27.07.1942            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती कौशल्या देवी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | अंकित नहीं            |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2000  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 8550-13500  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 8550-13500  
 (घ) वेतन : 9650 /-  
 (ङ) मूल पेंशन : 4698 /-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 1879 /-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 2819 /-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 4698 /-  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 2895 /-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 65 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 61500 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 30750 /-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 30284 /-  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550 /-  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 30284 /-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 1879 /-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 28405 /-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 30284 /-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 18450 /-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 896/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/747/02-03 दिनांक: 23.01.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, महाराजगंज।
3. श्री पोषन प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-इन्दिरा नगर, नगर पालिका परिषद, महाराजगंज, वार्ड, 16।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 873/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/755/02-03

दिनांक: 22.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सन्तोष कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सन्तोष कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 782 दिनांक 04.05.2002    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.08.1940               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती उर्मिला साक्सेना |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.08.1998               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000               |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6500-11000               |
| (घ) वेतन                         | : | 9700 /-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4747 /--                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1898 /--                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2849 /--                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 4747 /--                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2910 /--                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 65 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 08        |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 60400 /-- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 30200 /-- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 29743 /-- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 23800 /-- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 29743 /-- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 1898 /--  |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 27845 /-- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | : | 29743 /-- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | : | 18120 /-- |
|                                      | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2017 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लक्ष्य वेतनमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 873/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/755/02-03 दिनांक: 22.01.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बरेली।
- श्री सन्तोष कुमार, सी०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-31/3, गूड, गडखन की गली, बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 934/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/489/01-02

दिनांक: 23.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
रायबरेली।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामशरण पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामशरण पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 519 दिनांक 14.08.2001  |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1940             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती कलावती पाण्डेय |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.1998             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 18650/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9168/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2072/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7096/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 9168/-                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2072/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 65428/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 67500/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 934/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/489/01-02 दिनांक: 23.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
3. श्री रामशरण पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-बालापुर, पो०-आई०टी०आई०, जिला रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 846/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1771/04-05

दिनांक: 21.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
जौनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जियाउद्दीन अहमद अंसारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जियाउद्दीन अहमद अंसारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1890 दिनांक 26.07.2004 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 07.07.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती आसमां          |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त तिथि          | : | 31.07.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 10000/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2806/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7194/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 10000/-                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2806/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 66744/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 69550/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 846/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1771/04-05

दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।

3. श्री जियाउद्दीन अहमद अंसारी, से०नि० अवर अभियन्ता, 403, ज्या मंजिल, मो० सिपाह, चाचकपुर रोड, जौनपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1465/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4197/08-09

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री विमल कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री विमल कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3762 दिनांक 06.06.2008    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 13.02.1948                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 28.02.2006                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600  |
| (घ) वेतन                         | : | 31250/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15625/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3975/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 11650/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 15625/-                   |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9375/-                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 82600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 41300/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 41300/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 3975/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 37325/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | -         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 24780/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1465/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4197/08-09 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
3. श्री विमल कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-230/29, सत्यनगर, रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1197 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2351 / 05-06

दिनांक: 30.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मैक्सबल सोलोमन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मैक्सबल सोलोमन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3019 दिनांक 11.10.2006   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 18.06.1946               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती अनीता सोलोमन     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.06.2004               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500               |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 8550-13500               |
| (घ) वेतन                         | : | 11575 + 5788 = 17363 /-- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8537 /--                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2898 /--                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 5639 /--                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 8537 /--                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5209 /--                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09        |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71300 /-- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 35650 /-- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 /-- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 35650 /-- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2898 /--  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 32752 /-- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 35650 /-- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 21390 /-- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1197 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2351 / 05-06 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूल रूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री मैक्सबल सोलोमन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-कचहरी रोड, निर्मल प्लाजा के पीछे, सरारा, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

सन बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1466/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6594/17-18

दिनांक: 07.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अमरोहा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जीशान हैदर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जीशान हैदर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5664 दिनांक 29.07.2016   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 10.01.1956               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती हुसैन फात्मा     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 10.08.1960               |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2016               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 36920/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 18460/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 7384/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 11076/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 18460/-                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 11076/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 95800/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 47900/-                              |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं                            |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-                              |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 47900/-                              |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 7384/-                               |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 40516/-                              |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 47900/- दिनांक 09.01.2023 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 28740/- दिनांक 10.01.2023 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं                            |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1466/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6594/17-18 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा, मेरठ।
3. श्री जीशान हैदर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-103, मौ०-मजापोता, अमरोहा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

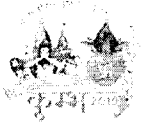
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

भवदीय,  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1535/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/116/2000-01

दिनांक: 08.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बहराइच।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कमला मौर्या पत्नी स्व० जमुना प्रसाद मौर्या, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती श्रीमती कमला मौर्या पत्नी स्व० जमुना प्रसाद मौर्या, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 135 दिनांक 22.06.2000 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | अंकित नहीं            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती कमला मौर्या   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.02.1955            |
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 01.08.1998            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500            |
| (घ) वेतन                         | : | 10750/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3225/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 63 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 67200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 20160/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1535/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/116/2000-01  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 08.02.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बहराइच।
3. श्रीमती श्रीमती कमला मौर्या पत्नी स्व० जमुना प्रसाद मौर्या, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-68, डी-सिविल लाईन, बहराइच।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 795/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1999/04-05

दिनांक: 21.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
उरई (जालौन)।

पंजीकृत

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला निरंजन पत्नी स्व० गोविन्द सिंह निरंजन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला निरंजन पत्नी स्व० गोविन्द सिंह निरंजन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : 2120 दिनांक 10.03.2005 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : 02.05.1946             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : श्रीमती उर्मिला निरंजन |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : अंकित नहीं             |
2. (क) मृत्यु तिथि : 31.05.2004 / 18.10.2016
 

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : 16400-20000 |
| (घ) वेतन                         | : 19100/-     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : लागू नहीं   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : लागू नहीं   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : लागू नहीं   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : लागू नहीं   |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : 8595/-      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : 60 छमाही    |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |            |
|--------------------|------------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : 135000/- |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : 69550/-                      |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : 63228/-                      |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : 65550/-                      |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : 65550/-                      |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : 2232/-                       |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : 63318/- दिनांक 18.10.2016 तक |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : लागू नहीं                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : 40500/-                      |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : लागू नहीं                    |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 795/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1999/04-05

दिनांक: 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई।
3. श्रीमती उर्मिला निरंजन पत्नी स्व० गोविन्द सिंह निरंजन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-268-ए, ददईया बिल्डिंग, बाबरी के पास, राजेन्द्रनगर, उरई।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

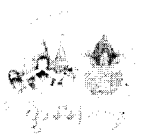
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1546/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6292/15-16

दिनांक: 08.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कमला कान्त ओझा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कमला कान्त ओझा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिद्विषता               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5342 दिनांक 27.04.2015   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 10.04.1953               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुमित्रा ओझा     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.04.2013               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छँटवा ग्रेडनमान          |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रेड पे 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 27170 + 6600 = 33770/-   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 16885/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6754/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10131/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10131/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निधारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) मैट्रिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 87700/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 43850/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 43850/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6754/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 37096/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 26310/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1546/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6292/15-16 दिनांक: 08.02.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री कमला कान्त ओझा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मु०-भेडियागढ़, असुरन चौक, गीता बाटिका, गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

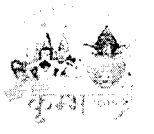
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1488/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4160/07-08

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राशिद जावेद हाशमी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राशिद जावेद हाशमी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : 3522 दिनांक 05.04.2008 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : 01.07.1948             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : श्रीमती खुशनुदा        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : 06.01.1949             |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2006  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ मेतनमान  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेडपे 8900  
 (घ) वेतन : 44700 + 8900 = 53600 /-  
 (ङ) मूल पेंशन : 25582 /-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 5966 /-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 19616 /-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 16030 /-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 13  
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550 /-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 66389 /-  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550 /-  
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550 /-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 5966 /-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63584 /-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730 /-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1488/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4160/07-03 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्री राशिद जावेद हाशमी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी०-149, जी०टी०वी० नगर, करौली स्कीम, प्रयागराज।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

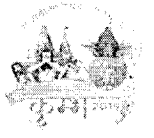
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1487/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1035/02-03

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चिन्तामणि शुक्ल, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चिन्तामणि शुक्ल, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : 1075 दिनांक 22.01.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : 07.07.1943             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : श्रीमती रामराजी देवी   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : अंकित नहीं             |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2001  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : पंचम मेतनमान  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 8550-13500  
 (घ) वेतन : 10750/-  
 (ङ) मूल पेंशन : 5293/-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 1880/-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3413/-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3225/-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 67200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 33600/-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 33600/-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 1880/-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 31720/-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 20160/-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1487/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1035/02-03 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्री चिन्तामणि शुक्ल, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय, निवासी-पो०-बरौंव, करघना, प्रयागराज।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1486/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6479/15-16

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सेदू सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सेदू सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 5560 दिनांक 04.05.2016   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 10.07.1952               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती चन्द्रावती देवी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| <b>2. (क) सेवानिवृत्त तिथि</b>   | : | 31.07.2012               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवाँ वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रेड पे 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 27170+6600=33770/-       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 16885/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6754/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10131/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10131/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 87700/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 43850/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 43850/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6754/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 37096/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 26310/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1486/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6479/15-16

दिनांक: 07.02.2019

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-सहारनपुर।
3. श्री सेदू सिंह, से0नि0 अवर अभियन्ता, ग्राम-हरड़, पोस्ट-फतेहपुर, जिला-शामली।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1452/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/146/2000-01

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जवाहर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जवाहर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्धता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 162 दिनांक 26.07.2000 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.07.1941            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती राजकुमारी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं            |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.1999            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान          |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000           |
| (घ) वेतन                         | : | 18650/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9190/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2325/-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6865/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशिकृत पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2325/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 65175/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1452/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/146/2000-01 दिनांक: 07.02.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
3. श्री जवाहर सिंह, सी०नि० अवर अभियन्ता, सी-54 महेन्द्रा इनक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत (पेंशन)

अवर अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ